रजिस्टर्ड नं० पी०/एस०एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 2 जुलाई, 1983/11 आषाढ़, 1905

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 22 जुलाई, 1982

सं० उद्योग-छ(6)-16/79.—घरेलू विद्युत साधित्र (क्वालिटी नियन्त्रण) आदेश, 1981 जो भारत सरकार उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश संख्यक का० आ० 797 (अ), दिनांक 12-11-1981 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 12-11-1981 में प्रकाशित हुआ है, और जो हिमाचल प्रदेश में भी लागू है, को जन साधारण की सूचना हेतु हिमाचल प्रदेश राजपत्र में तुरन्त प्रकाशित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/—
आयुक्त व सचिव।

भारत सरकार
उद्योग मन्त्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1981

सं0 का0 आ0 797 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 19) की धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि घरेलू विद्युत साधित्रों के विनिर्माण भण्डारण विक्रय और वितरण का विनियमन करने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन निम्नलिखित आदेश करती है अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम घरेलू विद्युत साधित्र (क्वालिटी नियन्त्रण) आदेश, 1981 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. लागू होगा.—यह आदेश ऐसा साधित्रों की बाबत जो भारतीय मानक संस्था (प्रमाण चिन्ह) अधिनियम, 1952 के अधीन जारी की गई विधिमान्य अनुज्ञप्ति के अधीन मा0 सा0 सं0 चिन्ह से चिन्हांकित है घरेलु साधित्रों के विनिर्माताओं को लागू नहीं होगा।

3. परिभाषाएं.—इस आदेश में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) अभिप्रेत है।
(ख) समुचित प्राधिकारी से उद्योग से उद्योग निदेशक नागरिक पूर्ति निदेशक की प्रास्थिति का कोई अधिकारी या इस आदेश के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया समतुल्य प्रास्थिति का कोई अधिकारी अभिप्रेत है।
(ग) घरेलू विद्युत साधित्रों के सम्बन्ध में व्यवहारी से अभिप्रेत है यह व्यक्ति जो, या वह फर्म या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब जो प्रत्यक्ष रूप से या अन्यथा किसी ऐसे साधित्र का क्रय करने उसका विक्रय करने प्रदाय करने या वितरण करने का कारबार चाहें वह नकद या आस्थगित संदाय के लिए हो या कमीशन पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए हो चलाता है।
(घ) घरेलू विद्युत साधित्र से अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट विद्युत साधित्र अभिप्रेत है।
(ङ) घरेलु विद्युत साधित्रों के सम्बन्ध में विनिर्माताओं से अभिप्रेत है यह व्यक्ति जो, या वह फर्म हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब जो, ऐसे किसी साधित्र का उत्पादन करता है, बनाता है, संमजन करता है या विनिर्माण करता है और उसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति या फर्म या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब भी है जो यथास्थिति ऐसे व्यक्ति या कर्म या हिन्दू अविभक्त कूटम्भ द्वारा ऐसे विद्युत साधित्रों का उत्पादन करने संमजन करने या निर्माण करने का दावा करता है।
(च) अनुसूचि से इस आदेश से उपावद्ध अनुसूचि अभिप्रेत है।
(छ) अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित किसी घरेलू विद्युत साधित्र के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट मानक से उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्ट में यथा विनिर्दिष्ट मानक अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उक्त साधित्र के सम्बन्ध में समय-समय पर भारतीय मानक संस्था द्वारा प्रकाशित मानक भी है।
(ज) राज्य सरकार के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी है।

4. ऐसे घरेलू विद्युत साधित्रों के विनिर्माण विक्रय आदि का प्रतिषेध जो विनिर्दिष्ट मानक के नहीं है :—

(I) कोई भी व्यक्ति स्वयं या उसकी ओर से कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे घरेलू विद्युत साधित्र का विनिर्माण विक्रय के लिए भण्डारण विक्रय या वितरण नहीं करेगा जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं है ।

(II) विक्रय के लिए प्रस्तावित या अभिदर्शित या विक्रित प्रत्येक घरेलू विद्युत साधित्र नहीं है उसके पैकेज पर विनिर्माता का नाम और पता सहज दृश्य रूप में दिया होगा और जहां उपर्युक्त पद्धतियों में से कोई भी व्यवहार्य नहीं है वहां उसके साथ उस आशय का प्रमाण-पत्र या लेबल होगा और यह घोषणा भी होगी कि साधित्र विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप है :

परन्तु इस खण्ड की कोई भी बात ऐसे घरेलू विद्युत साधित्र को लागू नहीं होगी जो निर्यात के लिए आशायित है यदि वह ऐसे साधित्र के क्रय के लिए किसी फर्म की संविदा में विदेशी क्रेता द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य मानक के अनुरूप है जब तक कि वह निर्यात (क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1964 के उपबन्धों के जहां भी वे लागू हो अनुरूप है ।

5. विनिर्माताओं का प्रमाणीकरण :

1) कोई भी स्वयं या उसकी ओर से कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा यदि वह पहले से ही विनिर्माता है किसी घरेलू विद्युत साधित्र का तब तक विनिर्माण नहीं करता रहेगा जब तक कि उसने तीन मास की अवधि के भीतर उक्त साधित्र के लिए उस राज्य के जिसमें वह साधित्र का विनिर्माण करता है समुचित प्राधिकार से विनिर्माता का प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त नहीं कर लिया है ।

(2) कोई भी व्यक्ति, इसके पश्चात् स्वयं या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा किसी घरेलू विद्युत साधित्र का विनिर्माण तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने उक्त साधित्र के लिए उस राज्य के जिसमें वह साधित्र का विनिर्माण करने का प्रस्ताव करता है समुचित प्राधिकारी से विनिर्माता का प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त कर लिया है ।

(3) समुचित प्राधिकारी किसी भी समय अच्छे और पर्याप्त कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया जाए एक या अधिक साधित्रों के लिए विनिर्माता का प्रमाण-पत्र प्रतिसंहृत कर सकता है :

परन्तु ऐसा विनिर्माता जिसका प्रमाण पत्र इस प्रकार प्रतिसंहृत किया गया है ऐसे प्रतिसंहरण के विरुद्ध खण्ड 14 में विनिर्दिष्ट रीति में अपील कर सकता है। विनिर्माता यथा स्थिति, विनिर्माता के प्रमाण-पत्र के प्रतिसंहरण के पश्चात् या ऐसे प्रतिसंहरण के विरुद्ध की गई अपील के अस्वीकृत किए जाने के पश्चात् उस घरेलू विद्युत साधित्र का जिसके लिए इस प्रकार प्रतिसंहृत विनिर्माता प्रमाण-पत्र जारी किया गया था, विनिर्माण करना तुरन्त समाप्त कर देगा ।

6. भण्डारण विक्रय और वितरण की प्रतिषेध.—कोई भी व्यक्ति स्वयं या उसकी ओर से कार्य करते हुए किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे किसी घरेलू विद्युत साधित्र का विक्रय के लिए भण्डारण विक्रय या वितरण नहीं करेगा जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा विनिर्मित नहीं किया गया है जिसने खण्ड 5 के अधीन विनिर्माता का प्रमाण-पत्र या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियत की गई तारीख के पश्चात भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिन्ह अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त कर ली है ।

7. जानकारी आदि मंगाने की शक्ति—समुचित प्राधिकारी इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के विचार से—

(क) किसी घरेलू विद्युत साधित्र के विनिर्माण करने, विक्रय के लिए भण्डारण करने विक्रय या वितरण में लगे किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जैसा वह किसी घरेलू विद्युत साधित्र के विनिर्माण करने, विक्रय के लिए भण्डार करने, विक्रय या वितरण के सम्बन्ध में आवश्यक समझे या जैसा यह इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक समझे या किसी व्यक्ति से किसी घरेलू विद्युत साधित्र के नमूने या किसी घरेलू विद्युत साधित्र के संघटक देने की अपेक्षा कर सकेगा।

(ख) किसी घरेलू विद्युत साधित्र के विनिर्माण करने, विक्रय करने के लिए भण्डारण, विक्रय या वितरण में लगे किसी व्यक्ति द्वारा रखी गई या उसकी या उसके कब्जे या नियन्त्रण के अधीन की किन्हीं पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों या किसी घरेलू साधित्र या किसी घरेलू विद्युत साधित्र के के संघटकों का निरीक्षण कर सकेगा या करवा सकेगा।

(ग) खण्ड 12 के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी से किसी परिसर में प्रवेश और तलाशी करवा सकेगा और किसी घरेलू विद्युत साधित्र का जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश का उल्लंघन हुआ है या यह विनिर्दिष्ट मानक का नहीं है अभिग्रहण कर सकेगा।

(घ) तलाशी और अभिग्रहण को सम्बन्धित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1973 का 2) की धारा 100 के उपबन्ध जहां तक सम्भव हो इस खण्ड के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे।

8. नमूनों का परीक्षण (I).—जहां समुचित प्राधिकारी की यह राय है कि यह अभिनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है कि कोई घरेलू विद्युत उपस्कर विनिर्दिष्ट मानक का है या नहीं वहां यह ऐसे विधुत साधित्र के विनिर्माण करने विक्रय के लिए भण्डार करने विक्रय या वितरण लगे किसी व्यक्ति से उस साधित्र के तीन नमूने ले सकेगा जिनमें से यथास्थिति एक परीक्षण के लिए होगा एक मुहरबन्द किया जाएगा और समुचित प्राधिकारी के पास रखा जाएगा एक विनिर्माता या व्यवहारी के पास छोड़ दिया जाएगा।

(II) सभी तीनों नमूने ऐसे विद्युत साधित्र के विनिर्माण विक्रय के लिए मंजूर करने या वितरण में इस प्रकार लगे हुए व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में मुहरबन्द किये जाएंगे। इस प्रकार लिए गए नमूनों की बाबत ऐसे व्यक्ति को ऐसे प्ररूप में जो समुचित प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करें एक रसीद दी जाएगी और समुचित प्राधिकारी उस व्यक्ति को यदि नमूने विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप होंगे विद्युत साधित्र की कीमत का संदाय करेगा या अन्यथा नमूने संपहृत कर लिए जाएंगे।

(III) जहां समुचित प्राधिकारी उप-नियम (1) के अधीन घरेलू विद्युत साधित्र का कोई नमूना लेता है वहां वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि नमूना विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप है या नहीं उसे परीक्षण के लिए, भारतीय मानक संस्था द्वारा अनुमोदित किसी प्रयोगशाला को तुरन्त परिदत्त करेगा। परीक्षण प्रभारों का संदाय समुचित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(IV) समुचित प्राधिकारी प्रत्येक मामले में यह सुनिश्चित करने के लिए कि साधित्र विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप है या नहीं यह अवधारित करेगा कि किसी विशिष्ट साधित्र की बाबत कौन से

परीक्षण किये जाने चाहिये । प्रत्येक विनिर्माता के हर प्रकार के साधित्रों का बावत इस प्रकार किये गए परीक्षणों और उनके परिणामों का समुचित प्राधिकारी द्वारा निरन्तर अभिलेख रखा जाएगा :

परन्तु यदि विनिर्माता उस राज्य में जिसमें किसी व्यवहारी में नमूना लिया गया है, भिन्न राज्य का है तो नमूना लेने वाला समुचित प्राधिकारी विनिर्माता से सीधे पत्र-व्यवहार नहीं करेगा किन्तु परीक्षण रिपोर्ट उस राज्य के जिसमें विनिर्माता रजिस्टरकृत है समुचित प्राधिकारी को संसूचित करेगा और पश्चातवर्ती प्राधिकारी विनिर्माता को इस आदेश के उपबन्धों के अनुसार आवश्यक निर्देश देगा ।

(V) उप-खण्ड (III) में निर्दिष्ट प्रयोगशाला का भारसाधक प्राधिकारी यह अवधारित करने के लिए कि नमूना विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप है या नहीं आवश्यक परीक्षण करेगा या करवाएगा और परीक्षण की रिपोर्ट तीन प्रतियों में ऐसे प्ररूप में जो समुचित प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करें, परीक्षण के लिए नमूना भेजने वाले प्राधिकारी को भेजेगा ।

(VI) यदि आवश्यक हो तो परीक्षण प्रयोगशाला समुचित प्राधिकारी के पास उपलब्ध दूसरा नमूना मंगवा सकेगा या विनिर्माता अथवा व्यवहारी अपने पास छोड़े गए नमूना पर परीक्षण के लिए कह सकेगा और परीक्षण विनिर्माता या व्यवहारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि और एक सप्रेक्षक की उपस्थिति में किया जा सकेगा ।

9. ऐसे किसी धरेलू विद्युत साधित्र के व्ययन का प्रतिशेष करने की शक्ति जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं है.—(I) जहां खण्ड 8 के उप-खण्ड (5) के अधीन प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर समुचित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि कोई धरेलू विद्युत साधित्र विनिर्दिष्ट मानक का नहीं है और उसकी त्रुटि दूर की जा सकती है वहां ऐसे साधित्र के विनिर्माण विक्रय के लिए भण्डार करने विक्रय या वितरण में लगे व्यक्ति को उस त्रुटि के दूर करने के लिए और जब तक समुचित प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत न किया जाए ऐसे साधित्रों को व्ययन न करने का निदेश दे सकेगा ।

(II) जहां समुचित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि साधित्र की त्रुटि दूर नहीं की जा सकती है वहां वह ऐसे साधित्र के विनिर्माण, विक्रय के लिए भण्डार करने विक्रय या वितरण में लगे व्यक्ति को यह निदेश दे सकेगा कि वह साधित्र को बाजार से तुरन्त वापस ले लें ।

10. विनिर्माताओं और व्यवहारियों को निर्देश जारी करने की शक्ति.—समुचित प्राधिकारी विनिर्माताओं और व्यवहारियों को इस आदेश के उपबन्धों से संगत ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जो इस आदेश के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो ।

11. निदेशों का अनुपालन .—किसी धरेलू विद्युत साधित्र के विनिर्माण विक्रय के लिए भण्डार करने विक्रय या वितरण में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस आदेश के अधीन कोई निर्देश जारी किया जाता है। से निर्देश का पालन करेगा ।

12. शक्ति का प्रत्यायोजन.—समुचित प्राधिकारी लिखित रूप में किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस आदेश के अधीन अपने निमित्त अपने सभी या किन्हीं कृत्यों को प्रयोग करने के लिए किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा । परन्तु कोई भी ऐसा अधिकारी जो राजपत्रित पंक्ति का नहीं है खण्ड 7 के उप-खंड (1) के परा (ग) के अधीन तलाशी और आभिग्रहण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत नहीं किया जाएगा ।

13 सूचना देने की बाध्यता.—कोई भी विनिर्माता या व्यवहारी इस आदेश के उपबन्धों से बचने के आशय में खण्ड 7 के अधीन उससे विधिपूर्वक मांगी गई सूचना देने से इन्कार नहीं करेगा या ऐसे व्यक्ति द्वारा रखे गये या ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या नियन्त्रण में किसी बही या दस्तावेज या किसी धरेलू विद्युत साधित्र को न दिखाएगा न नष्ट करेगा न विकृत करेगा और न विरूपित करेगा ।

14. अपील.—(1) समुचित प्राधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित कोई विनिर्माता या व्यवहारी ऐसे विनिश्चय की संसूचना देने वाले आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को जो राज्य सरकार अधिसूचना करे लिखित रूप में अपील कर सकेगा :

परन्तु अपील प्राधिकारी पूर्वोक्त अवधि के अवसान के पश्चात भी कोई अपील स्वीकार कर सकता है यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि समय के भीतर अपील फाईल करने से अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से निवारित हो गया था ।

(2) उप-खण्ड (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझें ।

15. शस्ति.—कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के किन्हीं उपबन्धों का या विनिर्माता प्रमाण-पत्र के किसी निबंधन और शर्तों का उल्लंघन करेगा या उनके अधीन किए गए किसी निदेश या अध्यापेक्षा को पूरा करने में असफल रहेगा तो वह दण्डनीय होगा और वह सम्पति जिसकी बाबत ऐसा उल्लंघन हुआ है आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 7 के अधीन संपहृत की जाने की दायी होगी ।

16. निरसन.—धरेलू विद्युत साधित्र (क्वालिटी नियन्त्रण) आदेश, 1976, सिवाये यहां तक के जहां तक कोई कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है, इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

धरेलू विद्युत साधित्रों की अनुसूची

क्रम सं0	धरेलू विद्युत साधित्र		मानक
1	2		3
1.	विद्युत निमज्जन जल तापक	भा0 मा0	368-1977
2.	संचयन किस्म के स्वचालित विद्युत जलतापक	भा0 मा0	2082-1978
3.	धरेलू और समरूप प्रयोजन के लिए स्विच	भा0 मा0	3854-1966
4.	रबर के विद्युत रोधी केबिल (तांबे के चालक सहित)	भा0 मा0	434 (भाग-1)-1964
5.	रबर के विद्युत रोधी केबिल (एलुमिनियम के चालक सहित)	भा0 मा0	434 (भाग-2)-1964
6.	पी0 वी0 सी0 विद्युत रोधी केबिल (1100 वोल्ट तक वोल्टता के लिए) ।	भा0 मा0	694-1977
7.	पालिथिलीन विद्युत रोधी और पी0 वी0 सी0 आच्छादित केबिल (1100 वोल्ट तक और 1100 वोल्ट सहित) ।	भा0 मा0	1596-1977
8.	विद्युत आइरन	भा0 मा0	366-1976
9.	विद्युत स्टोव	भा0 मा0	2994-1965
10.	विद्युत हाट प्लेट	भा0 मा0	365-1965
11.	धरेलू विद्युत खाद्य मिश्रक (छावक समिश्रित और प्रेषक)	भा0 मा0	4250-1967
12.	विद्युत टोस्टर	भा0 मा0	1287-1977
13.	विद्युत काफी साधित्र (अनियामक किस्म के)	भा0 मा0	3514-1966

1	2	3	
14.	घरेलू और वैसे ही उपयोग के लिए विद्युत केतली और जग	भा0 मा0	367-1977
15.	विद्युत कपड़े धोने की घरेलू मशीनें (अस्वचालित)	भा0 मा0	6390-1977
16.	विद्युत रेडियेटर	भा0 मा0	369-1965
17.	विद्युत जल वायलर	भा0 मा0	3412-1965
18.	मुख्य तार चालित विद्युत केश शुष्कक	भा0 मा0	7154-1973
19.	मुख्य तार चालिक विद्युत शेवर्स	भा0 मा0	5159-1969
20.	विद्युत रसोई बनाने के घरेलू चूल्हे	भा0 मा0	5790-1970
21.	भाव इस्त्री	भा0 मा0	6290-1970
22.	घरेलू उपयोग के लिए लचीले विद्युत तापन पैड	भा0 मा0	5161-1960
23.	सवाहय हाथ वाले मुख्य तार चालित विद्युत मैसेंजर्स	भा0 मा0	7137-1973
24.	खवांम्ह धीमी गति वाली खाद्य पेषण मशीन	भा0 मा0	7603-1975
25.	साक्षित्र अनुयोजनक और प्रवेश द्वार साधित्र (अनुत्क्रमणीय तीन पिन किस्म वाले)।	भा0 मा0	3010(भाग-2) 1965
26.	साधित्र अनुयोजनक और प्रवेश द्वार साधित्र (अनुत्क्रमणीय तीन पिन किस्म वाले भाग-2)।	भा0 मा0	3010(भाग-2) 1965
27.	विद्युत जल तापकों के साथ उपयोग के लिए ताप स्थायी	भा0 मा0	3017-1965
28.	कारटिज तापन तत्व किस्म (अनततः स्थापित किस्म)	भा0 मा0	3724-1966
29.	तापन तत्वों के लिए प्रतिरोधी वायर, टेप और स्टिपत्र	भा0 मा0	3725-1966
30.	ठोस अतःस्थोपित किस्म के विद्युत तापन तत्व	भा0 मा0	4158-1967
31.	खनिज से भरे हुए आच्छादित तापन तत्व	भा0 मा0	4159-1967
32.	साधारण प्रयोजन के विद्युत ओवन के लिए ताप स्थायी	भा0 मा0	4165-1967
33.	अभ्रक रोधी तापन तत्व	भा0 मा0	6446-1972
34.	घरेलू और समरूप प्रयोजनों के लिए 2-एम्पियर स्विच	भा0 मा0	4949-1968
35.	विद्युत सुवाहम लैम्प स्टैंड और ब्रेकेट	भा0 मा0	3481-1966
36.	तीन-पिन प्लग और साकेट निर्गम (प्रथम पुनरीक्षण)	भा0 मा0	1293-1967
37.	प्रनिस्कन्दी पदार्थ के बन हुए तीन पिन प्लग	भा0 मा0	6538-1971
38.	वायोनेट लैम्प होल्डर	भा0 मा0	1258-1967
39.	विद्युत तात्क्षणिक जल तापक	भा0 मा0	8978-1978
40.	एकल पर्त के बेकिंग ओवन	भा0 मा0	8985-1978

[फाईल नं0 एस0 एस0 आई0 (1)-24(62)/81].

आर0 श्रीनिवासन,
संयुक्त सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।